Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, Impact Factor: 6.280, Volume 11, No. 01, January-March 2021, pp. 109-114

भारत में पर्यावरण नियोजन एवं प्रबंधन – विविध पक्ष एवं कानूनी प्रावधान

खेमराज चौधरी*

सार

हम जीव धारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। वस्तुतः वातावरण या पर्यावरण एक अविभाज्य समाष्टि है, जिसकी रचना भौतिक, जैविक व सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। वर्तमान के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगीकरण के दौर में मनुष्य का स्वरूप प्रौद्योगिक मानव का हो गया तथा मनुष्य पर्यावरण के विनाशकर्ता के रूप में सामने आया, जिससे मानव व पर्यावरण के संबंध मित्रवत न रहकर शत्रुवत हो गए। अंततः इसका परिणाम पारिस्थितिकी असंतुलन के रूप में प्रकट होता है। पर्यावरण असंतुलन के कारण वर्तमान समय में पर्यावरण नियोजन व प्रबंधन अति आवश्यक हो जाता है। वर्तमान काल में जैविक–भौतिक पर्यावरण का परिवर्तन तीव्र गति से जैव–सामाजिक पर्यावरण के रूप में हो रहा है। पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण स्थिरता एवं मानवीय क्रियाकलापों के बीच विशिष्ट समायोजन पर बल दिया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, समृद्धि व उनका पुनर्चक्रण करना पर्यावरण नियोजन व प्रबंधन के लिए अति आवश्यक माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, समृद्धि व उनका पुनर्चक्रण करना पर्यावरण नियोजन व प्रबंधन के लिए अति आवश्यक माना जाता है। पर्यावरण हमारी अमूल्य सामूहिक संपदा है। इसकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। पर्यावरण की सुरक्षा ही जन सुरक्षा है। आर्थिक समृद्धि एवं विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है। अनुकूल प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश से आर्थिक विकास, समृद्धि एवं पूर्ण रोजगार का रास्ता खुलता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा भी अनेक तरीकों से पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। कानून एक स्वस्थ पर्यावरण को कायम रखने के लिए आम जनता को शिक्षित करने का भी एक अनमोल उपकरण माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए में 42वा संशोधन पर्यावरण के संरक्षण एवं उसमें सुधार को एक मूल कर्तव्य का रूप देता है।

मुख्य शब्दः *अविभाज्य समाष्टि, औद्योगीकरण, पारिस्थितिकी असंतुलन, नियोजन, संविधान, पुनर्चक्रण।*

प्रस्तावना

परी और आवरण शब्दों से मिलकर बना पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हमारे चारों ओर के वायु के घेरे या आवरण से है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन, किसे आवृत किए हुए हैं, इसका उत्तर है समस्त जीव धारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं अर्थात हम जीव धारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। वस्तुतः वातावरण या पर्यावरण एक अविभाज्य समाष्टि है, जिसकी रचना भौतिक, जैविक व सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। ये सभी तंत्र पृथक–पृथक एवं सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर संबंध होते हैं। स्थान, स्थलरूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल,खनिज इत्यादि भौतिक तत्व मानव सहित संपूर्ण जैव जगत के विकास, विकास के अवसरों एवं सीमाओं को निर्धारित करते हैं। पौधे,जंतु, सूक्ष्मजीव व मानव जैसे जैविक तत्व मिलकर जैविक जगत की रचना करते हैं। इस प्रकार पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, इसके अंतर्गत पृथ्वी के दोनों अर्थात् जैविक एवं अजैविक घटकों को शामिल किया जाता है। पर्यावरण के संघटको को भौतिक, जैविक तथा ऊर्जा संघटक के रूप में तीन प्रकारों में विभक्त किया जाता है।

* सहायक आचार्य, भूगोल, राजकीय महाविद्यालय, सिरोही, राजस्थान।

पर्यावरण नियोजन एवं प्रबंधन

मानव सभ्यता के उद्‌भव से लेकर वर्तमान तक मानव पर्यावरण के मध्य संबंधों की प्रकृति व स्वरूप में निरंतर परिवर्तन दिखाई देते हैं। जब मनुष्य अपना जीवन निर्वाह आखेट व भोजन एकत्रीकरण के माध्यम से करता था, तब मानव का स्वरूप एक जीवीय या भौतिक मनुष्य के रूप में था तथा मानव व पर्यावरण के मित्रवत संबंध थे। मानव के पशुपालन व पशु चारण के दौर में मनुष्य का स्वरूप एक सामाजिक मनुष्य का था तथा वह पर्यावरण में रूपांतरणकर्ता की भूमिका में था। मनुष्य के विकास के अगले क्रम में पौधपालन एवं कृषि के दौर में मानव का स्वरूप आर्थिक मनुष्य के रूप में हो गया तथा मनुष्य की पर्यावरण में परिवर्तनकर्ता की भूमिका हो गई। अंतत विकास के अगले क्रम में तथा वर्तमान के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगीकरण के दौर में मनुष्य का स्वरूप प्रौद्योगिक मानव का हो गया तथा मनुष्य पर्यावरण के विनाशकर्ता के रूप में सामने आया, जिससे मानव व पर्यावरण के संबंध मित्रवत न रहकर शत्रुवत हो गए अंततः इसका परिणाम पारिस्थितिकी असंतुलन के रूप में प्रकट होता है।

मानव सहित जीव जंतु व वनस्पति के अस्तित्व हेतु पारिस्थितिकी संतुलन नितांत आवश्यक होता है। पर्यावरण असंतुलन के कारण वर्तमान समय में पर्यावरण नियोजन व प्रबंधन अति आवश्यक हो जाता है। विश्व स्तर पर समस्त जैव जगत के समक्ष पर्यावरण संकट का खतरा मंडरा रहा है। इस भीषण संकट को पर्यावरण नियोजन एवं प्रबंधन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। वर्तमान काल में जैविक–भौतिक पर्यावरण का परिवर्तन तीव्र गति से जैव–सामाजिक पर्यावरण के रूप में हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय संघटको के मौलिक गुणों में रूपांतरण हो रहा है। विकास को निरंतर बनाए रखने के लिए नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधनों का उपयोग व अमूल्य संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता ने पर्यावरण प्रबंधन को अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बना दिया है।

पर्यावरण नियोजन के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जा सकता है, प्रथम–विकास कार्यों के लिए प्रकृति के नव्य तथा अनव्य प्राकृतिक संसाधनों का विभिन्न रूपों में उपयोग करना। द्वितीय–दुर्लभ एवं बहुमूल्य संसाधनों का संरक्षण करना एवं तृतीय–स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता का परीक्षण व संरक्षण करना।

पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण स्थिरता एवं मानवीय क्रियाकलापों के बीच विशिष्ट समायोजन पर बल दिया जाता है। विशिष्ट समायोजन से तात्पर्य बिना पर्यावरणीय क्षति से माननीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण से प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ को प्राप्त करना होता है। इस हेतु पारिस्थितिकी सिद्धांतों एवं मनुष्य की सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है। पर्यावरण संतुलन व उसकी गुणवत्ता निरंतर बनाए रखना पर्यावरण व मनुष्य दोनों के लिए जरूरी है, परंतु पर्यावरण की गुणवत्ता एकदम व्यक्तिनिष्ठ शब्दावली होने से इस को परिभाषित करना अत्यंत दुष्कर कार्य है, क्योंकि पर्यावरण की गुणवत्ता का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों का समावेश किया जा सकता है –

- पर्यावरण के जैविक–अजैविक संघटकों को सुरक्षित करना।
- विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के उत्सर्जन पर नियंत्रण स्थापित करना।
- पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधनों के अनियमित एवं विवेकपूर्ण दोहन को नियंत्रित करना।
- जैव विविधता क्षरण पर नियंत्रण के उपाय करना।
- पर्यावरणीय तत्वों की गुणवत्ता में अभिवृत्ति करना।
- पर्यावरण जागरूकता व शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना।
- मनुष्य में पर्यावरणीय संचेतना का जागरण करना।

- पर्यावरण प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों के प्रतिफलों का निरीक्षण व सुधार करना।
- पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना।
- पारिस्थितिकी असंतुलन एवं पर्यावरण निम्नीकरण को नियंत्रित करने के कारण उपाय करना।

अतः प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना पर्यावरण नियोजन की अनिवार्य शर्त है। इसके अंतर्गत संसाधनों की गुणवत्ता में वृद्धि, अन्य विकल्पों की तलाश, सामान्य वितरण द्वारा अधिकाधिक विकास कार्यों को पूर्ण करना सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में विकास एवं संरक्षण दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, समृद्धि व उनका पुनर्चक्रण करना पर्यावरण नियोजन व प्रबंधन के लिए अति आवश्यक माना जाता है। इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों का दबाव कम पड़ेगा तथा क्षेत्रीय स्तर पर पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। वर्तमान में पर्यावरण प्रबंधन की प्राथमिक आवश्यकता है। इसके द्वारा न केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो सकता है, अपितु क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ–साथ मानव व पर्यावरण के पारस्परिक अंतरसंबंधों में भी सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

पर्यावरण प्रबंधन के महत्वपूर्ण पक्ष

यद्यपि पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत समग्र पर्यावरण के जैविक–अजैविक घटकों की ओर ध्यान जाता है, किंतु कुछ ऐसे पक्षों का विशेष ध्यान रखा जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित व संतुलित करते हैं तथा जिन का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव व उसकी आर्थिक–सामाजिक विकास की क्रियाओं पर पड़ता है। सामान्यता पर्यावरण प्रबंधन के प्रमुख पक्ष निम्नांकित है –

- पर्यावरण बोध एवं चेतना
- पर्यावरण शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण
- प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन
- पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन
- पर्यावरण अपकर्षण एवं प्रदूषण का नियंत्रण
- तकनीकी परियोजना एवं उत्पादन प्रबंध
- पर्याप्त संस्थागत एवं अन्य साधनों को उपलब्ध कराना।

पर्यावरण प्रबंधन में दो उपागम सम्मिलित किए जाते हैं– परीरक्षात्मक उपागम एवं संरक्षात्मक उपागम। परीरक्षात्मक उपागम में मानव और पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखने की सीख दी जाती है तथा प्रकृति की क्रियाओं में व्यतिक्रम न कर उसके साथ समायोजन करना चाहिए किंतु यह पूर्णतया संभव नहीं है, क्योंकि पर्यावरण व प्रकृति के उपयोग से ही मानव अपना आर्थिक विकास करता है तथा विकास का प्रभाव पर्यावरण पर निश्चित रूप से पड़ता है। दूसरे उपागम के अनुसार पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण न कर उनका विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए संरक्षण पर बल देना है। संसाधनों के युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण उपयोग एवं संरक्षण से ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है।

पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत पर्यावरण अधिप्रभाव के मूल्यांकन पर भी बल दिया जाता हैं। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन व उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव पर्यावरण अधिप्रभाव कहलाता है। आधुनिक काल में जनसंख्या वृद्धि एवं असीमित आवश्यकताओं की वृद्धि के कारण संसाधनों का उपभोग अत्यधिक बढ़ गया है। वर्तमान में पर्यावरण इतना बुरी तरह से प्रभावित हो गया है कि इसका प्रभाव वनस्पति एवं प्राणी जगत पर भी परिलक्षित होने लगा है। इसी कारण 1970 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी पारित की गई थी तथा इसी समय से पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन एवं मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हुआ माना जाता है। भारत सहित अन्य विकासशील देशों में पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन का आरंभ

1980 के बाद प्रारंभ किया गया। भारत में इस दिशा में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार सक्रिय है। इस मंत्रालय ने 1994 ईस्वी में उद्योग, खनन, सिंचाई, विद्युत, परिवहन, पर्यटन, संचार आदि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत पर्यावरण अधिप्रभाव का मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है। भारत में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आदि द्वारा पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन, निरीक्षण व नियंत्रण किया जाता है।

पर्यावरण प्रबंधन का नैतिक पक्ष

चूंकि मनुष्य अपना विकास पर्यावरण के दायरे में रहकर करता है। वह पर्यावरण से प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से अनेक वस्तुओं का उपयोग कर लाभ उठाता है। अतः हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है, कि हम प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं, संसाधनों सहित इस आवरण को सुरक्षित रखें, उसे संरक्षित रखें। पर्यावरण के प्रति हमारा दृष्टिकोण धनात्मक होना चाहिए तथा उसके प्रति अपनत्व व उसके प्रति ऋणी रहने का भाव होना चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण करने, उसके प्रदूषण को रोकने व कम करने हेतु हमारे अनेक नैतिक दायित्व है, जो निम्नलिखित रूपों में हो सकते हैं –

- प्रकृति प्रदत अमूल्य संसाधन जल का विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत उपयोग करना चाहिए तथा विभिन्न तरीकों से जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए।
- बिजली अर्थात् ऊर्जा की बचत से बिजली के द्वारा होने वाला जल, वायु, प्रदूषण कम हो सकता है। अतः हमें ऊर्जा का आवश्यक व तर्कसंगत उपयोग करना चाहिए, जिससे ऊर्जा की बचत के साथ–साथ पर्यावरण को भी संरक्षित रखा जा सके।
- भूमि, जल व वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्लास्टिक से बनी वस्तओुं यथा प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न्यूनतम करना चाहिए।
- अड़ोस–पड़ोस में खाली पड़ी जमीन पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि पेड़– पौधे हमारे जीवन की अधिकत्तर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इनसे ध्वनि, जल, वायु, आणविक प्रदूषण तथा मृदा क्षरण नियंत्रित होता है। दूसरी और वनों की अन्धाधुन्ध कटाई को भी नियंत्रित करना चाहिए।
- हमें उपयोगी वस्तुओं का पुनरउपयोग व पुनर्चक्रीकरण करना चाहिए।
- व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए।
- कृषि क्षेत्र में रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों के स्थान पर जैविक कीटनाशकों व जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए।
- जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि यह भी प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है।
- हमें पर्यावरण के प्रति आदर व कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, जिससे हम पर्यावरण के महत्व व उसकी उपयोगिता को समझ सके।

उपर्युक्त बिंदुओं पर विचार करके हम सभी को उनके पालन हेतु मानसिक रूप से तैयार होकर इसकी क्रियान्विति पर बल देना चाहिए। ध्यान रहे कि पर्यावरण हमारी अमूल्य सामूहिक संपदा है। इसकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। पर्यावरण की सुरक्षा ही जन सुरक्षा है। हमारा कार्य व्यवहार ऐसा हो जिससे कि हमारे चारों ओर के पर्यावरण के प्रत्येक घटक यथा मानव, जीव–जंतु, वनस्पति, जल, वायु, भूमि इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, बल्कि उनका हित हो।

पर्यावरण प्रबंधन का आर्थिक पक्ष

आर्थिक पर्यावरण का तात्पर्य मनुष्य के चारों और उन प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों से हैं, जो मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। इस प्रकार आर्थिक पर्यावरण में वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन के आर्थिक पक्ष के उद्देश्य के अंतर्गत व अर्थव्यवस्था का सफल संचालन एवं विकास न्यूनतम संसाधनों

एवं अवसरों की तलाश परिवर्तनों की जानकारी, समायोजन एवं आर्थिक विकास हेतु दबाव बनाना होता है। आर्थिक परिवेश की पर्यावरण को आर्थिक विकास के अनुरूप बनाने के लिए दबाव डालना था कि देश के आर्थिक विकास के लिए परिवेश का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। आर्थिक पर्यावरण सदैव स्थिर नहीं रहता, जिससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। आर्थिक समृद्धि एवं विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है। अनुकूल प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश से आर्थिक विकास, समृद्धि एवं पूर्ण रोजगार का रास्ता खुलता है। प्रतिकूल परिवेश से देश को गरीबी, बेकारी, भुखमरी जैसी स्थिति से सामना करना पड़ता है।

पर्यावरण प्रबंधन का प्रौद्योगिकी पक्ष

सूक्ष्म जीवों द्वारा भी अनेक तरीकों से पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। वाहित मल व अपशिष्ट जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने का कार्य अनेक वायव्य एवं अवायवीय सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। दूध, पनीर बनाने वाली डेरी के अपशिष्ट जल, तेल आदि उद्योगों के जल, आलू, स्टार्च के कारखानों में अपशिष्ट को नष्ट करने की क्रिया अवायवीय विधि से की जाती है। इस प्रकार इन कारखानों से उठने वाली दुर्गंध से बचा जा सकता है। सूक्ष्म जीव एवं जैव भार उत्पादन के अंतर्गत सौर ऊर्जा का उपयोग ताप, विद्युत एवं संश्लेषनिय ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। घास, गन्ना या जंगली पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग कर जैवभार में वृद्धि करते हैं, इनसे जीवाश्म ईंधन बनता है। इथेनाल, हाईद्रोकार्बन व हाइड्रोजन का उत्पादन कर कार्बनिक इंधनों पर निर्भरता कम की जा रही है जिससे कि कार्बनिक पदार्थों के उपयोग से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके।

पर्यावरण प्रबंधन के कानूनी प्रावधान

पर्यावरण प्रबंधन संबंधी विभिन्न प्रकार के कानून पर्यावरण के जैविक–अजैविक घटकों के संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित एवं नियमित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण प्रबंधन संबंधी कानूनों की सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है, कि उनको किस प्रकार लागू किया जाता है। कानून एक स्वस्थ पर्यावरण को कायम रखने के लिए आम जनता को शिक्षित करने का भी एक अनमोल उपकरण माना जाता है। हमारे देश के समस्त कानूनों की उत्पत्ति पर्यावरण की समस्याओं एवं प्रदूषण से जुड़ी हुई है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रभावशाली कानूनों एवं नियमों का होना अति आवश्यक है, नहीं तो बढ़ती जनसंख्या की अधिक आवश्यकताओं के कारण पर्यावरण पर बहुत भार बढ़ेगा। इन नियमों को लागू करना दूसरा मुख्य पहलू है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए इन कानूनों, नियमों को बलपूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से लागू करना अति आवश्यक होता है।

भारतीय संविधान में संशोधनों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के सुधार एवं प्रबंधन के कड़े प्रयास किए गए हैं। आरंभिक काल में हमारे संविधान में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। परंतु 1972 के स्टॉकहोम में हुए पर्यावरण से संबंधित कॉन्फ्रेंस के पश्चात भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और उन्हें पर्यावरण के संरक्षण को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए में 42वा संशोधन पर्यावरण के संरक्षण एवं उसमें सुधार को एक मूल कर्तव्य का रूप देता है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक वातावरण जिसमें वनों, झीलों, नदियां और वन्य जीवन जैसी प्राकृतिक संपदा सम्मिलित है, का संरक्षण करें। वह जीवित प्राणियों के लिए मन में करुणा रखें। पर्यावरण के संरक्षण में बढ़ोतरी के लिए केंद्र द्वारा प्रदेशों को निर्देश जारी किया गया है। इसी में राज्य के निदेशक तत्वों का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 48 स्पष्ट कहता है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह न केवल पर्यावरण का बचाव व सुधार करें, बल्कि देश के वन और वन्य जीव का भी संरक्षण करें। भारत में सन 1980 में देश में स्वस्थ पर्यावरण के विकास के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। यही विभाग आगे चलकर सन 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय कहलाया। इस मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी पर्यावरण संबंधी कानूनों और नीतियों का संचालन व लागू करना है। भारतीय संविधान के प्रावधान से कानूनों का सहारा लेते हैं, जिन्हें हम एक्ट और नियमों के नाम से

जानते हैं। हमारे अधिकांश पर्यावरण प्रबंधन संबंधी कानून व नियम विधानसभा व राज्यसभा द्वारा समय–समय पर निर्मित हुए हैं। यह एक्ट प्राय अपनी कार्य शक्ति को नियंत्रक एजेंसियों को प्रसारित करते हैं, जो कि उनके लागूकरण की तैयारी करती हैं। भोपाल गैस दुर्घटना के पश्चात पर्यावरण संरक्षण कानून सन 1986 में तैयार होकर सामने आया। इसे एक मुख्य कानून माना जा सकता है, क्योंकि यह वर्तमान कानूनों की कई कमियों को पूरा करता है। इसके पश्चात तो विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं को संबोधित करने के लिए कई पर्यावरण कानूनों का विकास हुआ है। उदाहरण के लिए राजधानी दिल्ली में ही सीएनजी का प्रयोग दिल्ली प्रदेश में सार्वजनिक यातायात के वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, उसके स्वरूप दिल्ली में वायु प्रदूषण की मात्रा कम हो गई है।

इसी क्रम में पर्यावरण को संतुलित करने एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए समय–समय पर कई प्रकार के कानून बनाए गए है, जो निम्नांकित है –

- जल (प्रदूषण के बचाव व नियंत्रण) कानून, 1974 व संशोधन,1988
- जल (प्रदूषण के बचाव व नियंत्रण) सेस (कर) कानून, 1977
- वायु (प्रदूषण के बचाव व नियंत्रण) कानून, 1981 व संशोधन,1987
- पर्यावरण (बचाव) कानून, 1986
- वन्यजीव अधिनियम कानून, 1972 और संशोधन,1982
- जैविक विविधता अधिनियम (कानून),2000

lUnHk xzFk lph

1. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ओझा एस.के., बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद, पेज न.194
2. पर्यावरण शिक्षा, कक्षा–बारहवी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान .संस्करण 2007-पेज न.59
3. https://www.essaysinhindi.com/environment/ पर्यावरण–प्रबंधन–मतलब–और / 13237
4. https://m.dailyhunt.in/news/nepal/hindi/gs+junction-epaper-gsjun/paryavaran+prabandhan+ki+pranaliyon-newsid-n150004596
5. http://moef.gov.in/wp-content/uploads/2019/08/MoEF-Brief-statement-_-Hindi-22-2-2019_compressed.pdf
6. https://nios.ac.in/media/documents/333H/23.pdf
7. https://www.teriin.org/sites/default/files/2018-07/Discussion%20Paper%20-%20Environmental%20Governance_Hindi_HD.pdf
8. https://researchleap.com/introduction-concept-environmental-management-indian-context/

♦❐♦